न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना		
प्र.सं. 141/19	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज सतवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

10.03.2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थीगण का सही नाम सतवीरसिंह, सुनील कुमार, रामसिंह पुत्रगण हनुमान है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम सत्यनारायण, श्योनारायण, तन सिंह पुत्रगण हनुमान दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक एवं ग्राम पंचायत नाथा की नांगल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रार्थीगण का सही नाम है। प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार नीमकाथाना ने जरिये पत्रांक भू.अ./2019/8039 दिनांक 25.09.2019 रिपोर्ट पटवारी मय अभिशंषा प्रेषित की जिससे भी इन तथ्यों की पुष्टि होती हैं कि प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त किया जाना उचित हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थी रामसिंह, सुनिल कुमार, सतवीर के नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिससे भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराज़ी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण, श्योनारायण, तन सिंह पुत्रगण हनुमान अंकित है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण का सही नाम सतवीरसिंह, सुनील कुमार, रामसिंह पुत्रगण हनुमान है की पुष्टि राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक एवं ग्राम पंचायत नाथा की नांगल का प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 25.09.2019 एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार एवं शपथ पत्र प्रार्थीगण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:07 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि खाता संख्या 179 राजस्व ग्राम नाथा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

की नांगल तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम **सत्यानारायण पुत्र हनुमान** के स्थान पर **सतवीरसिंह पुत्र हनुमान** एवं खाता संख्या 113 तन ग्राम लाखा की नांगल तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम **सत्यनारायण, श्योनारायण, तन सिंह पुत्रगण हंनुमान** के स्थान पर कमशः **सतवीरसिंह, सुनील कुमार, रामसिंह पुत्रगण हनुमान** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:07 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)